न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, औसियां

पीठासीन अधिकारी = श्री राजकेश मीणा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 95 / 2022

प्रार्थीगण:–

1 सोगाराम पुत्र श्री धोकलराम
जाति मेघवाल निवासी गोपासरिया हाल भैसेर कोटवाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1 रतुदेवी पत्नि श्री रामुराम
जाति जाट निवासी भैसेर कोटवाली
तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
2 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा तिंवरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय:– दिनांक:– 7/9/22

तहसील तिंवरी के राजस्व ग्राम भैसेर कोटवाली की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 368 / 403 रकबा 02.4281 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त खसरा की चालू जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 368 / 420 रकबा 002.4281 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है जिसमें एक कदीमी रास्ता चलता है जो आगे गै.मु. पडत में चल रहे रास्ता में मिलता है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से बी रास्ता दर्शाया गया है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि में से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। उक्त ए से बी रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को अवरूद्व व बन्द किया तब ग्रामवासियों ने एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग शिविर प्रभारी ग्राम भैसेर कोटवाली को दिनांक 08.12.2021 को रास्ता खुलवाने हेतु पेश किया जिसके सम्बन्ध में शिविर प्रभारी ने हल्का पटवारी से जांच करवाई गई जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु लघुत्तम व निकटत्तम रास्ता खसरा नम्बर 368 / 420 की भूमि के कणे पर जो स्थित है। उक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट की छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इस लिए प्रार्थी न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए से बी के मध्य 20 फुट चौड़ा प्रार्थी की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा सिंचित भूमि है। कटाण के रास्ते से प्रार्थी की भूमि में खाद, बीज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने जाने के लिए बीस फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रक व चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता मार्क ए से बी जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया है वह सबसे लघुत्तम एवं निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में से प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 368 / 420 में से नजरी नक्शे में दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए से बी तक 20 फुट चौडा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर, औसियां

प्रार्थी के पास उक्त ए से बी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन प्रेषित किए गए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता जसवंतसिंह चौहान उपस्थित। भू-अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 368/420 में से कोई रास्ता नहीं चलता है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीद सुदा भूमि है जिसके कोई कटाण रास्ता नहीं लगता है अप्रार्थी की भूमि के पास गै.मु. मगरा की भूमि है जो जेडीए के अधीन भूमि है तथा उक्त जमीन में किसी भी प्रकार का गै.मु. रास्ता कटा हुआ नहीं है। प्रार्थी ने गलत व बनावटी नजरीये नक्शा प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी की भूमि में से कोई रास्ता नहीं चलता है। प्रार्थी के आवागमन हेतु खसरा 368/405 में से होकर खसरा नम्बर 368/423 व 368/406 में से होकर जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरीये नक्शे में दर्शाये अनुसार चलता है जो भूमि प्रार्थी के कुटुम्ब के सदस्यों की भूमि है। उक्त रास्ते आगे ग्रेवल सड़क से लगता है जो प्रार्थी के लिए सुगम व निकटतम रास्ता है वहीं से प्रार्थी आवागमन करता है। हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट बनाई है जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। रिपोर्ट के वक्त अप्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिले खारिज है। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें पूर्व में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा।

रास्ते की आवश्यकता:-

भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 368/420 में आवागमन करना होता है। अतः नियमित रूप से आवागमन हेतु बेरोकटोक चलने वाले रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है।

वैकल्पिक रास्ते का अभाव:-

पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए।

निकटतम/सुगमतम रास्ता:-

राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाहा गया रास्ता ही निकटतम है एवं इसमें किसी प्रकार की बाधा होने का उल्लेख भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट में नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर चाहे गए बिन्दुओं में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश:-

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरीये नक्शे में दर्शाएं गए बिन्दू ए से बी के अनुसार ग्राम भैसेर कोटवाली तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 368/420 में 4.6 मीटर में बिन्दु ए से बी चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते की लंबाई ए से बी तक 106 मीटर रहेगी। तदनुसार कुल प्रभावित रकबा 487.6 वर्ग मीटर होगा। तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार डी.एल.सी. का तीन गुणा राशि की गणना कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाया जाकर उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड व लटठा ट्रेश में अमल दरामद किया जाए। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आदेश आज दिनांक 7/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with OKEN Scanner